

शिखर दृष्टि जीवन की...

साप्ताहिक समाचार पत्र

हिलव्यू समाचार

R.N.I. No. RAJHIN/2014/56746



hillviewsamachar@gmail.com



जयपुर >> गुरुवार 14 अप्रैल, 2022

खबर-बेरबर

हिलव्यू समाचार की छवियाँ रोल लाइ

यूजर्सको टीम ने स्मार्ट सिटी के कानून, गंदगी व अत्यधिकार के अलावा जयपुर कालेज नाना जी की हवेली पर हो रहे अवैध निर्णय व प्रक्रोटे ने इस तरह विश्व विरासत से की जा रही छेड़छाड़ पर जाताई गहरी आपति व नाराजगी।



अवैध निर्णय

आयुत, नगर निगम (हेरिटेज) जयपुर

तुनेश गुर्जर

मेयर, नगर निगम (हेरिटेज) जयपुर

यूजर्सको टीम ने हिलव्यू समाचार द्वारा जयपुर कालेज (नाना जी की हवेली) की अवैध निर्णय की बहुत उपलब्ध कराई गई।



यूजर्सको टीम..... चार दिवारी प्रक्रोटे सहित जयपुर विश्व विरासत के निरीक्षण की समीक्षा करते हुए। प्रोफेसर मिंजा यांग, जुई हाँन व मिस्टर पॉल यूनेस्को टीम से राजधानी जयपुर में 9 दिवसीय भ्रमण पर रहे।

यूनेस्को टीम ने आगाह किया कि अगले दौरे पर प्रोग्रेस रिव्यू करने पड़ सकती है। दिसंबर 2022 में यूनेस्को की टीम का दोबारा दोगा हो सकता है। यूनेस्को ने प्रक्रोटे को विश्व विरासत स्थल स्मार्ट सिटी का काम यूनेस्को टीम को कर्तव्य नहीं आया। विषेष तौर पर यूनेस्को टीम ने दरबार स्कूल के साथ-साथ हिलव्यू समाचार द्वारा दी गयी रीपोर्टिंग के आधार पर सर्वे कर नानाजी की हवेली सहित दूसरे कई बड़े निर्णय को लेकर गहरी अपीति जताई। 1 अप्रैल से 9 अप्रैल कुल 9 दिन तक जयपुर में विषिणु क्षेत्रों का दैवीकरण करते हुए यूनेस्को टीम ने अपेक्षा जारी की अवैध अपील में उनकी रुचि क्यों है?

मीडिया को सहयोग नहीं कर अवैध असामाजिक तत्वों की अपील को सुरक्षित रखना क्या इशारा करता है?

अपील लाना या इस सबै में 19 अप्रैल 2022 को होने वाली इस अपील से पूर्व हिलव्यू समाचार ने जनहित उद्देश्य व अपने कर्तव्य के चलते अपने पक्ष को रखने के लिए परिवारी, उनवान व केस संख्या की जनकारी स्वायत्त शासन निदेशक हृदये शर्मा से चाहीं जिसे निदेशक महोदय 10 अप्रैल से समाचार पत्र प्रकाशन के अंतिम दिन 13 अप्रैल यानी 4 दिन से लगातार टाल रहे हैं क्यों?

क्या एक आईएस अधिकारी से इस तरह के व्यवहार की अपेक्षा आम जनता या मीडिया कर सकती है?

आखिर ये कौनसा आका है जिसने प्रशासन और शासन के ऐसे अधिकारियों को बल दिया हुआ है। 19.04.2022 को उस अवैध अपील की सुनवाई से पूर्व डीएलबी को सुनना ही होगा मीडिया व आम जनता की आवाज़ को।

इसी के साथ प्रक्रोटे की मैरिंग दोबारा करने के निर्देश दिए गए ताकि प्रक्रोटे की वास्तविक तस्वीर में कोई बदलाव न हो। यूनेस्को की टीम ने हर काम को हेरिटेज की दृष्टि से देखते हुए साए किया कि डेवलपमेंट के नाम पर विश्व विरासत दर्जा प्राप्त धरोहरों से छेड़छाड़ करना यूनेस्को के भावी निर्माणों को प्रभावित कर सकता है। साथ ही सङ्कर का निर्माण ऊंचा होने की वजह से घरों में पानी भर जाने और क्षेत्र में लोग डीपी जंकशन, ट्रांसफार्मर को लेकर भी मार्गदर्शन दिया।

पार दिवारी प्रक्रोटे को विश्व विरासत का सम्मान 2019 में गिला

6 जुलाई 2019 को जयपुर के प्रक्रोटे को यूनेस्को की विश्व विरासत का तमाम मिला था। जिसकी प्रमाणित प्रति यानी प्रमाण पत्र जुलाई 2020 में वर्तमान स्वायत्त शासन मंत्री शाति धरोहर के कर कमलों को सौंपा गया था। तब ही यूनेस्को ने अवैध निर्माण, अतिक्रमण हटाने और गहरी निरामिन गहराई के अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश भी दिए। साथ ही उन डोनेशनों को भी संरक्षित करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर अपेक्षा करते हुए उन्हें दुसरे करने के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश भी दिए। जाति वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश भी दिए। जाति वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड़ के काम में पारिवर्क का सामाजिक लाभ दिया जाए और अवैध निर्माण सामने एवं जिसे लेकर यूनेस्को टीम ने नानाजी व गहरी आपति प्रक्रट की और जल्द दुसरे करने के निर्देश दिए गए जो वास्तुकला और नियोजन से परिवर्ते के नियोजन से देखते हुए इसे लेकर यूनेस्को टीम ने हेरिटेज क्षेत्र में चल रहे अलग-अलग प्रोजेक्ट की अधिकारियों के साथ विस्तार से चर्चा की। धरोहर का सरकार कैसे किया जाए, फसाड



रिमाइंडर-7

पैज नं. 1 का शेष ...

राज.उच्च ज्यायालय के आदेश व धरत किए जाने वाले 143 गवानों की सूची

(3 of 3)

जयपुर >> गुरुवार 14 अप्रैल, 2022

[CW-15318/2013]

HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

D.B. Civil Writ Petition No. 15318/2013

Suo Moto

----Petitioner

Versus

State Of Raj

----Respondent

For Petitioner(s) : Mr. Shobhit Tiwari
Mr. Vimal Choudhary with
Mr. Yogesh TaiorFor Respondent(s) : Mrs. Naina Saraf
Mr. Mahendra Shah
Ms. Anita Aggarwal with
Mr. Laxmikant
Mr. Anil Mehta, AAG
Mr. S.S. Sharma on behalf of
Mr. Mahesh Gupta
Mr. Madhusudan Sharma

1

HON'BLE THE CHIEF JUSTICE
HON'BLE MR. JUSTICE PRAKASH GUPTA

Order

18/09/2019

1. The Court has considered the submissions of the parties and also considered the affidavit of the Municipal Corporation, Jaipur. This affidavit is filed in compliance with the directions of the previous orders of this Court dated 19.05.2019 and 27.03.2019. This order shall be deemed to be in continuation of the previous orders dated 19.05.2019 and 27.08.2019.

2. The materials on record show that firstly 362 properties were considered by the Committee which recommended inclusion of Jaipur as World Heritage City, and that survey of these properties is yet to be carried out by the Municipal Corporation. As far as the other properties are concerned, the Municipal Corporation has annexed three lists having regard to the survey carried out so far. The first list contains details of 19 properties which according to the Corporation require complete demolition since they are on public lands and/or are encroachments, or are downright unauthorised constructions. The time-frame indicated by the Corporation for taking complete suitable action in this regard is three months.

3. The second list contains particulars of 12 properties, which according to the Corporation has shown partial illegality. The Corporation's tentative programme for taking action and its completion in regard to the properties in the second list is six months from today.

4. The third list contains 112 properties- which in the opinion of the Corporation show minor deviations/illegality. According to the Corporation, the action with respect to the properties in the third list would be taken up and completed thereafter in a time-bound programme.

5. The third parties have intervened through an application. They urged the Court not to precipitate action without hearing them.

6. Having regard to the overall circumstances, this Court is of the opinion that 19 properties- which according to the Corporation require immediate demolition as they have been completely constructed contrary to law and/or are encroachments, need to be examined first. To facilitate the process, the Court hereby nominates the Principal Secretary, UDH and the Principal Secretary, Law, Government of Rajasthan. The Municipal Corporation shall within one week from today give specific notices to each of the occupiers of the 19 properties listing particulars of the deviations/illegality. The notice shall also indicate the address of the Nodal Officer as the person who would receive the representations/replies to the show cause notice.

7. The Committee set up by the Court- headed by the Principal Secretary, UDH, shall prepare a report based upon the verification and examination of the documents and representations filed. The report shall be compiled and filed in the Court within four weeks from today.

8. Each of the lists filed along with the Corporation's affidavit shall be annexed to the present order. Thus, list-I (which contains description of 19 properties shall be Annexure-A/3); list-

II shall be the properties shown at Page-40 of the affidavit; and list-III containing 112 properties is the list shown between page 41 to 45. The order along with these lists shall be uploaded on the Court's Website.

9. The Corporation shall ensure that no building activity takes place in respect of all the properties listed in the three lists annexed to this order. No Civil Court shall pass any injunction order in respect of these constructions.

10. List on 24.10.2019.

3

(PRAKASH GUPTA),J

KAMLESH KUMAR /s-64

(S. RAVINDRA BHAT),CJ



परकोटे क्षेत्र में चिह्नित अवैध भवनों की सूची प्रथम चरण भवन जो पूर्णतः अवैध है।

क्र.सं.	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
1	ऋषि कुमार फतेहपुरिया मकान नं. 458-59 रामगंज बाजार जयपुर।	तीन माह
2	हरें अग्रवाल 458 आबू हवेली ठाकुर पचेवर का रास्ता घाटगेट	तीन माह
3	शीतल कुमार पुत्र शंकरलाल मकान नं. 190 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
4	शिवरण अग्रवाल मकान नं. 196 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
5	शारीरद जरागढ 207 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
6	बनवारीलाल गुप्ता व अन्य 410 मनीराम जी की कोठी	तीन माह
7	अनिल अग्रवाल 244 सीतापुरा हाउस रिहाई-सिद्धी काम्पलेक्स	तीन माह
8	रमेशचंद अग्रवाल, कुंजबिहारी 1984 हल्दियों का रास्ता	तीन माह
9	नेमोप्रकाश खण्डाक हवेली 2148 हल्दियों का रास्ता	तीन माह
10	रवि सचेती भवन संख्या 176 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
11	सुनील बक्षी भवन संख्या 175 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
12	केलाश कुमार अग्रवाल भवन संख्या 153 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
13	मधुसूदन अग्रवाल भवन संख्या 152 मुशरफा का चौक हल्दियों का रास्ता	तीन माह
14	रमेशचंद अग्रवाल पुत्र कुंजबिहारी मं.नं. 436 ठाकुर पचेवर का रास्ता घाटगेट जयपुर।	तीन माह
15	गोहमद साजिद मकान नं. 1873-74 पंचायती मरिजद मोहल्ला महावताम	तीन माह
16	राधा गोविंद काम्पलेक्स मनीराम जी की कोठी	तीन माह
17	कानोता हवेली मनीराम जी की कोठी	तीन माह
18	सर्वे भूमि काम्पलेक्स दडा मार्केट	तीन माह
19	मकान नं. 1907 व 08 धाराई जी का सुर्दा	तीन माह

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर

अवैध भवन - द्वितीय चरण जो आंशिक रूप से अवैध है।

क्र.सं.	नाम व पता	कार्यवाही करने की समय सीमा
1	जुषा जेन पत्नि विमलेश कुमार जेन, 2657 धीवालो का रास्ता नागोरियों का चौक घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
2	नूरैलाही पुत्र गुलाम मुरताफा मं.नं. 1048 पदमपुरा हाउस के सामने गगापाल रोड जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
3	पवन ठोलिया पुत्र अनुपचंद ठोलिया, श्रीमति रेखा पत्नि पवन ठोलिया मं.नं. 2173 चाक्सु का चौक जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
4	अ. जबार पुत्र अ. वहाब मं.नं. 1480 धीवालो का रास्ता घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
5	रेशमा पत्नि अजीज अली, श्रीमति हीना पोसर पत्नि रशीद अली मं.नं. 5269 चांदी के ताजिये के आगे गती में रेशमा की कोठी घाटगेट।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
6	गोपाललाल पुत्र हनुमान सहाय 53, गोवधनपुरी स्कीम पार्क के पास चौ. शर्की शुमाली जयपुर	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
7	उरा जेन पुत्र विमलेश कुमार जेन मं.नं. 2657 रास्ता नागोदिया का चौक जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
8	पुरुषोत्तम अग्रवाल पुत्र भागीरथ प्रसाद अग्रवाल दु.नं. 244 मनीरामजी की कोठी घाटगेट	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
9	नसीम बानो पत्नि इरसाद अहमद, इमरान अहमद, अमीर अहमद दु.नं. 71 से 73, 104 से 106 मिश्रा मार्केट घाटगेट जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
10	रमचंद्र तेजवानी, ओमप्रकाश तेजवानी पुत्र प्रमदयाल तेजवानी मं.नं. 350 रायजी का घेर काले हनुमानजी मंदिर के सामने चांदी की टक्कसाल जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
11	आयुष मेहता पुत्र ज्ञानचंद महेता धीवालो का रास्ता मं.नं. 2811 धारोंग घाटगेट।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह
12	राजेश जेन पुत्र निहालचंद जेन मं.नं. 581 उंचा कुआ हल्दियों का रास्ता जयपुर।	प्रथम चरण पश्चात तीन माह

उपायुक्त
हवामहल जोन पूर्व
नगर निगम जयपुर



અન્ય અવૈધ ભવન - તૃતીય ચરણ

ક્રિં.સ.	નામ વ પતા	કાર્યવાહી કરને કી સમય સીમા
1	સલમાન પુત્ર અતાઉલ્લાહ મં.ન. 3001-3002 ખરાદિયો કી મસ્ઝિદ કે પાસ ઘાટગેઠ	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
2	વસીમ ફિરોજ પુત્ર અ. હુકીમ છપરબંધાન કા મોહલ્લા આરએસી ગેટ કા રાસ્તા જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
3	મો. ફંડુમ પુત્ર ઈસ્માઇલ જગન્નાથશાહ કા રાસ્તા, મોહલ્લા વિતોવાલો કા મં.ન. 3711 જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
4	અ. શકૂર પુત્ર અ. ગફૂર છોટે પાર્ક કે સામને 2294, તકિયા યકીનશાહ કી મસ્ઝિદ કે પાસ।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
5	મો. સલીમ પુત્ર નૂરમોહમ્મદ મં.ન. 4474 ઘોડા નિકાસ રોડ શિકારિયો કી મોરી કે સામને જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
6	મુશી શરીફશુદીન પુત્ર કરીમબક્ષ 862 એક મીનાર કી મસ્ઝિદ કે પાસ નાલ બંધાન ચો. ગંગાપોલ।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
7	ઝીકબાલ અહમદ પુત્ર સ્વ. નિસાર અહમદ આકલ ખાને કા રાસ્તા નાથ જી કી બાંધિયે કે પાસ જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
8	શરીફ પુત્ર મુનુ ખાં ઉર્ફ યામિર મં.ન. 2126 રાસ્તા છપરબંધાન ચો. તોપખાને હાંગેરી।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
9	આરિફ અલી પુત્ર લિયાકત અલી એક મીનાર મસ્ઝિદ કે પાસ નાલબંધાન કા મોહલ્લા મં.ન. 829 જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
10	યુસુફ અલી પુત્ર લિયાકત અલી મં.ન. 829 એક મીનાર મસ્ઝિદ કે પાસ મોહલ્લા નાલબંધાન ગંગાપોલ જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
11	વર્ષીઉલ્લાહ પુત્ર નવાબ પહલવાન મં.ન. 2901 મોટી સિંહ મોનિયો કા રાસ્તા મેં ચોરીબરદાર કે બાગ કે પાસ ઘાટગેઠ જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
12	આરિફ અહમદ પુત્ર અ. ગફાર મં.ન. 3783 જગન્નાથશાહ કા રાસ્તા નાહરવાડા જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
13	બાબુ ભાઈ પુત્ર સ્વ. શમશુદીન મં.ન. 3375 કોટી બસ્તી ચોરાહા ગંગાબક્ષ જોશી કા રાસ્તા જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
14	રૂકમણી દેવી પણિ સ્વ. કલ્યાણસહાય કોટી કોલિયાન કેશર જી પાર્ક કે મકાન કે પાસ	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
15	શાબીબ જહાં પણિ બાજિદ મં.ન. 2835 મોહલ્લા મહાવાન કોટી કોલિયાન પંચાયતી મસ્ઝિદ કે પાસ।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
16	મો. નાસીર અસારી પુત્ર મો. યાસિન અંસારી રાસ્તા છપરબંધાન કા પાર્બદ કાર્યાલય સે પહેલે ગલી મેં।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
17	અ. રહીમ પુત્ર નૂર મં.ન. 963 ફુટા ખરૂર રામગંજ બાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
18	અ. અહાત પુત્ર અ. અજીજ દુનં. 123 રામગંજ બાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
19	મો. ઉમર પુત્ર મોહમ્મદદીન મં.ન. 751 લવાણ કા ઘેર બાંદરી કા નાસિક ચૌકઢી ગંગાપોલ।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
20	અ. શમી પુત્ર અ. સલામ મં.ન. 2932 રેગરો કી કોટી મોતિસિંહ	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
21	અ. સલીમ પુત્ર અઝરઉલ્લાહ મં.ન. 3995 આરા મશીન કે સામને નાહરવાડા ક. બસ્તી જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
22	અનીસ અહમદ પુત્ર ગુલામ અહમદ મં.ન. 6813 પટગંવાલો કા મોહલ્લા ચો. રામચંદ્રજી જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
23	મો. રફીક પુત્ર અ. રસીદ દુનં. 121 રામગંજ બાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
24	તનવરી પુત્ર જહાંગીર મં.ન. 4042 નાહરવાડા રકૂત કે પૂર્વી તરફ ચો. રામચંદ્રજી જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
25	શબ્દી પણિ બરીઓર મં.ન. 4850 શ્રીમાલ મંદિર કે સામને ઘોડા નિકાસ રોડ જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
26	મો. રફીક પુત્ર નૂરમોહમ્મદ મં.ન. 4575 જગન્નાથશાહ કા રાસ્તા મસ્ઝિદ મોનિયાન કે સામને।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
27	વર્ષીમ પુત્ર મો. જાપીલ મં.ન. 5112 મોહલ્લા સરાયવાલા ઘાટગેઠ	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
28	અ. સતીર પુ. અ. રહીમ મં.ન. 2514 કાવિયો કા ખરૂર રામગંજ બાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
29	અસરાર પુત્ર અ. સતીર મં.ન. 3760 નાહરવાડા સ્કૂલ કી ગલી ચો. રામચંદ્રજી।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
30	અ. મજીદ પુત્ર ખાલીલ રહમાન મં.ન. 4199 ફુટા ખરૂર કોને પર દુકાન નં. 247 કે ઉપર રામગંજ બાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
31	મો. ઉમર પુત્ર મોહમ્મદદીન મં.ન. 751 લવાણ કા ઘેર બાંદરી કા નાસિક જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
32	ફારુક ચોધરી પુત્ર ફકરદીન મં.ન. 1546 સુલમ કાસ્લેક્સ કે પાસ પનીરાન મોહલ્લા જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
33	નૂરિલહી પુત્ર ગુલામ મુસ્તફા મં.ન. 1048 પદમપુરા હાઉસ કે સામને ગંગાપોલ જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
34	અસરાર પુત્ર અ. સતીર મં.ન. 3760 પટગંવાલો કા મોહલ્લા જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
35	ઉષ જેન ટોંયા પણિ સુરેશ કુમાર ટોંયા મં.ન. 2656 ઘીવાલો કા રાસ્તા જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
36	અ. ગફાર પુત્ર અ. ગળી મં.ન. 1323 બાલજી કી કોટી કા રસ્તા મોહલ્લા કુણ્ડો કી ગુવાડી જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
37	અ. મનીદ પુત્ર ખલીલુરહમાન દુનં. 247 કે ઉપર ફુટા ખરૂર રામગંજ શાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
38	સુરેદ સિંહ રાજાવત પુત્ર શયામ સિંહ મં.ન. 1563 રાધાકિશન કા કુણ્ડ ખાવાસ જી કા રાસ્તા તીસરા ચોરાહા જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
39	મો. જાહિદ પુત્ર અમીનુદીન મં.ન. 4 શનીચર જી કે ખરૂર કે નીચે કન્દેયવાલો કી મો. ડાકોતાન ચો. હવાલી શહર શકી શુમાતી।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
40	આદિલ પુત્ર મો. સલીમ શીતલા માતા કા ચૌક મોહલ્લા ડાકોતાન જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
41	મો. યામીન પુત્ર ફેયાજ ખાં મં.ન. 3475 નિરીતિયો કી છોટી મસ્ઝિદ કે પાસ ઘાટગેઠ જયપુર	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
42	અખરાર બેગ પુત્ર નજીર બેગ મં.ન. 2813-15 જોગીયો કા ટીબા મેહરો કી ગલી જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચાત 06 માહ
43	શરાફત પુત્ર નસીર અહમદ દુનં. 63-65 મિશ્રા માકેટ સંસ્થા બાજાર જયપુર।	દ્વિતીય ચરણ પશ્ચા

